

दिनांक-20.04.2026 को ईखायुक्त, बिहार की अध्यक्षता में पेराई सत्र 2026-27 के लिए ईख आच्छादित क्षेत्रों का संयुक्त सर्वेक्षण हेतु "गन्ना सर्वे ऐप" से संबंधित विडियों कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से सम्पन्न बैठक की कार्यवाही

उपस्थिति:- श्री कुमार कानन, ईख पदाधिकारी, सीवान/सभी क्षेत्रीय ईख पदाधिकारी/ विशेष ईख पदाधिकारी/श्रीमती रक्षा शर्मा, डाटा एनालिस्ट/कार्यरत चीनी मिलों के प्रतिनिधि एवं श्री पुरुषोत्तम कुमार, प्रोग्रामर, लॉजिकल वेव प्रा० लि० के प्रतिनिधि।

बैठक की कार्यवाही ईखायुक्त, बिहार की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

पेराई सत्र 2026-27 के लिए ईख आच्छादित क्षेत्रों का संयुक्त सर्वेक्षण हेतु "गन्ना सर्वे ऐप" के संबंध में बताए गए विभिन्न तकनीकी खामियों और समस्याओं की समीक्षा की गई। इस क्रम में ईखायुक्त बिहार, द्वारा सर्वे कार्य सुचारु रूप से करने हेतु निम्न निदेश दिया गया:-

1. अगले दो दिनों में सभी चीनों मिल API के माध्यम से पेराई सत्र 2026-27 में किए जा रहे सर्वे का डाटा विभाग को उपलब्ध कराएंगे।
2. API से उपलब्ध कराया गया डाटा इस तरह का होना चाहिए की मिल द्वारा अपने सर्वे डाटा में जो बदलाव करेंगे वह Real time में विभाग के पोर्टल पर उपलब्ध हो जाए।
3. सर्वे के साथ-साथ किसानों का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा, संधारित किए जाने वाले सर्वे डाटा में किसानों का गन्ना रेजिस्ट्रेशन ID भी शामिल होगा।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त की गई।

(अनिल कुमार झा)
ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक-02/रेगु०-02-800-02/2024-809/500 पटना, दिनांक- 21 अप्रैल, 2026
प्रतिलिपि-ईख पदाधिकारी/सभी उप निदेशक/ सहायक निदेशक, ईख विकास/महाप्रबंधक, सभी कार्यरत चीनी मिलों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक-02/रेगु०-02-800-02/2024-809/500 पटना, दिनांक- 21 अप्रैल, 2026
प्रतिलिपि-अपर मुख्य सचिव, गन्ना उद्योग विभाग के प्रधान आप्त सचिव/ईखायुक्त, बिहार, पटना के निजी सहायक/श्री कुमार कानन, ईख पदाधिकारी, सीवान/ श्रीमती रक्षा शर्मा, डाटा एनालिस्ट/ श्री पुरुषोत्तम कुमार, प्रोग्रामर, लॉजिकल वेव प्रा० को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक-02/रेगु०-02-800-02/2024-809/500 पटना, दिनांक- 21 अप्रैल, 2026
प्रतिलिपि- आई० टी० प्रबन्धक, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार पटना को विभागीय वेवसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

ईखायुक्त, बिहार।